न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—376/2012/75 (2012/00096)

1. श्रीमती लच्छी पत्नी स्व0 भागू,
2. गोमा पुत्र स्व0 लाडू,
3. हेमा पुत्र स्व0 लाडू,
4. हरचन्द पुत्र स्व0 लाडू,
5. श्रीमती जमनी पत्नी स्व0 जमना,
6. हरबू पुत्र स्व0 जमना,
7. छोटा पुत्र स्व0 धर्मा,
8. मोटा पुत्र स्व0 धर्मा,
9. छोगा पुत्र स्व0 काना,
10. मंगला पुत्र स्व0 काना,
11. भोला पुत्र स्व0 हीरा पौत्र स्व0 काना,
12. दूदा पुत्र स्व0 हीरा पौत्र स्व0 काना,
13. नानू पुत्र स्व0 भीमा,
14. मांगू पुत्र स्व0 भीमा,
15. मल्ला पुत्र स्व0 भीमा,
16. श्रीमती घीसी पत्नी स्व0 दल्ला,
17. पप्पू पुत्र स्व0 दल्ला, नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता श्रीमती घीसी,
18. नंगा पुत्र स्व0 लाडू,
19. श्रीमती सेठा पत्नी स्व0 मोहन,
20. पूना पुत्र स्व0 मोहन, नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता घीसी, समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम कानस, उप—तहसील पुष्कर, जिला अजमेर जरिये मुख्तयार आम ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कपूर चन्द,जाति महाजन, निवासी नया, बाजार, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर ।
2. नगर पालिका, पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिटस्ट्रेट, अजमेर आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ—12 (सी)/12/26 दिनांक 16.2.2012 .

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—28.9.2018

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ—12 (सी)/12/26 दिनांक 16.2.2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानस, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर अवस्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 6, 95, 103,146, 148, 149, 154, 155, 156/2087, 177, 208, 761, 759, 766, 767, 768, 807, 808 एवं 809 जिनके भू—संशोधन पश्चात् वर्किंग जमाबंदी में अंकितानुसार नवीन खसरा नंबरान 7, 98, 106, 151, 153, 154, 159, 161, 162, 190, 229, 936, 947, 948, 949, 950, 993, 994, 995 की कृषि भूमियों विद्वान जिलाधीश, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ—12 (सी)/12/26 दिनांक 16.2.2012 द्वारा अन्य भूमियों के साथ अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना के तहत रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, पुष्कर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वजों एवं तत्पश्चात् अपीलांटस की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है जिस बाबत् अपीलांटस का वाद भी विचाराधीन है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में पारित किया है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वजों एवं अपीलांटस की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है जिस बाबत् अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांटस को विद्वान जिलाधीश के आदेश दिनांक 16.2.2012 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.4.2012 को रेस्पो0 संख्या 2 के अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा अपीलांटस की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि का नाप—चौप किये जाने का प्रयास किया गया तब हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अभिभाषक से संपर्क कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर दिनांक 26.4.2012 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 17.5.2012 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई । तत्पश्चात अपीलांट द्वारा संबंधित दस्तावेजात एवं खर्चे आदि की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।
6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांटस को पैतृक हक, अधिकार व आधिपत्य की आराजियात नगर पालिका पुष्कर को हस्तातंरित की गई है जो नैसर्गिक न्याय के

सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात अपीलांटस की पैतृक आराजियात है जिन पर अपीलांटस एवं उनके पूर्वज संवत् 2015 से पूर्वसे ही बहैसियत संयुक्त खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध एक राजस्व वाद खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय, अजमेर के न्यायालय में पेश किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कथन किया था कि विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वज काना, कम्मा, भोमा, धर्मा पि0 सांवता, कौम रावत के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की होकर उनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांटस के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य में चली आ रही थी किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 के अधीनस्थ राजस्व अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज कारित कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था । उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर ही रेस्पो0 संख्या 1 ने रेस्पो0 संख्या 2 को विवादित आराजियात हस्तातंरित की है जिससे रेस्पो0 संख्या 1 का अपीलाधीन आदेश भी अवैध होकर निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया किराज0काश्त0अधि0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत ही विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में प्रस्तुत राजस्व वाद में रेस्पो0 संख्या 1 पक्षकार नियुक्त है जिससे उन्हें विवादित आराजियात के संबंध विवाद विचाराधीन होने की संपूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलांटस के विरूद्ध चले धारा 91 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत कार्यवाही हुई थी जिसमें विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा स्वीकार किया गया है । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात बाबत् मौके एवं रिकार्ड की स्थिति की जांच कराये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रारंभ से अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से अपील में वर्णित खसरा नंबरान की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 16.2.2012 अपील में वर्णितानुसार खसरा नंबरान की हद तक अपास्त किया जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है । हस्तातंरण आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम नामांतकरण भी स्वीकृत हो चुका है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने कथन किया है कि विवादित भूमि खाता संख्या 48 अपीलांटस के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है जिसकी पुष्टि में अपीलांटस ने खेवट खतौनी संवत् 1349 पेश की है । विवादित भूमि के संबंध में अपीलांटस का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वास्ते खातेदार उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित करने से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय

दिनांक 16.2.2012 के विरूद्ध अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तत्समय नहीं हो सकने के संबंध में अपीलांटस द्वारा किया गया कथन उचित प्रतीत होता है । विवादित भूमि के संबंध में अपीलांटस का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ–12 (सी)/12/26 दिनांक 16.2.2012 के द्वारा अन्य ग्राम के साथ ग्राम कानस की विवादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, पुष्कर को हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस ने कथन किया है कि विवादित आराजियात खेवट खतौनी संवत् 1349 में अपीलांटस के पूर्वजों के नाम खातेदारी से दर्ज थी किन्तु भूप्रबंध विभाग ने बिना किसी आधार एवं अधिकार के सिवायचक दर्ज कर दिया जिस संबंध में अपीलांटस का उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में खातेदार उद्घोषणा का वाद विचाराधीन होने से रेस्पो0 संख्या 1 को रेस्पो0 संख्या 2 को विवादित भूमि हस्तातंरण करने का अधिकार नहीं था । इस संबंध में न्यायालय हाजा का अभिमत है कि विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरण करने की दिनांक को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी जिस पर अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । जहां तक विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद के विचाराधीन होने का प्रश्न है उक्त वाद में अपीलांटस को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह भविष्य के गर्भ में छिपा है किन्तु हस्तातंरण के समय विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज होने से अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरण करने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एव विधिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का हस्तातंरण आदेश दिनाक 16.2.2012 यथावत् योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है एव विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ–12 (सी)/12/26 दिनांक 16.2.2012 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर